इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 23, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच, (35).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 11 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 8 में, उपनियम, (4) में शब्द ''तत्समय देशी स्प्रिट पर तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक प्रति प्रूफ लीटर देय शुल्क'' के स्थान पर, शब्द ''देशी स्प्रिट पर तत्समय प्रति प्रूफ लीटर देय शुल्क से अनधिक'' स्थापित किए जाएं.

(2) यह अधिसूचना, राजपत्र में, उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (35) दिनांक 14 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2011

No. B-1-49-2010-2-V- (35).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of the sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 62 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 11 of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules—

(1) in Rule 8, in sub rule (4), for the words "exceeding three times but not exceeding four times the duty payable per proof litre on country spirit at that time", the words " not exceeding the duty payable per proof litre on country spirit at that time" shall be substituted.

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच, (36).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—नियम 12 में, उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(6) नियम 10 के अधीन अनुज्ञात की गई सीमाओं से अधिक समस्त हानियों पर अनुज्ञप्तिधारी, तत्समय देशी स्पिरिट पर प्रति प्रूफ लीटर देय शुल्क से अनधिक की दर से ऐसी शास्ति, जैसी कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए, के भुगतान के लिए दायी होगा:

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह सिद्ध कर दिया जाए कि ऐसी अधिक कमियां या हानि कतिपय अपरिहार्य कारणों जैसे कि अग्नि या दुर्घटना से कारित हुई थीं तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, तो वह इस उप नियम के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का अधित्यजन कर सकेगा.".

(2) यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (36) दिनांक 14 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2011

No. B-1-49-2010-2-V- (36).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d) and (h) of the sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the 12, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(6) On all losses in excess of the limits allowed under rule 10, the licensee shall be liable to pay penalty at a rate not exceeding the duty payable per proof litre on country spirit at that time, as may be imposed by the Excise Commissioner or any officer authorised by him:

Provided that if it be proved to the satisfaction of the Excise Commissioner or the authorised officer that such excess deficiency or loss was due to some unavoidable causes like fire or accident and its first information report was lodged in concerned police station, he may waive the penalty imposable under this sub rule.".

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच, (37).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—नियम 23 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) इन नियमों के नियम 20 तथा 21 में उल्लिखित सीमाओं से अधिक समस्त कमियों पर, अनुज्ञप्तिधारी, तत्समय बीयर पर, प्रति बल्क लीटर देय शुल्क से अनधिक दर से ऐसी शास्ति, जो कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए, संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यदि आबकारी आयुत या प्राधिकृत अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह सिद्ध कर दिया जाए कि ऐसी अधिक कमियां या हानि कतिपय अपरिहार्य कारणों, जैसे कि अग्नि या दुर्घटना से कारित हुई थीं तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, तो वह इंस उप नियम के अधीन अधिरोपित की जाने योग्य शास्ति का अधित्यजन कर सकेगा.".

(2) यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. ब्री-1-49-2010-2-पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (37) दिनांक 14 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2011

No. B-1-49-2010-2-V- (37).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (d), (e), (f), (g) and (h) of the sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 23, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) On all deficiencies in excess of the limits mentioned in rule 20 and 21 of these rules, the licensee shall be liable to pay penalty at a rate not exceeding the duty payable per bulk litre on Beer at that time, to be imposed by the Excise Commissioner or any officer authorised by him;

Provided that if it be proved to the satisfaction of the Excise Commissioner or the authorised officer that such excess deficiency or loss was due to some unavoidable causes like fire or accident and its first information report was lodged in concerned police station, he may waive the penalty imposable under this sub rule.".

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.